



इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
रिट - ए संख्या - 1083 सन् 2026

हेमराजयाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : रामेन्द्र कुमार शुक्ला

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री रामेन्द्र कुमार शुक्ला तथा राज्य की ओर से उपस्थित स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह जुलाई 2008 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, किन्तु उसे न्यूनतम वेतनमान, जो कि ₹18,000/- प्रति माह है, प्रदान नहीं किया गया है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुभाषकर दुबे बनाम प्रभागीय वन अधिकारी, (2019) 12 एससीसी 297 में इस संबंध में निर्णय दिया गया है।
3. दूसरी ओर, स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया निर्णय प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता एक समग्र प्रत्यावेदन स्वप्रमाणित प्रति सहित रिट याचिका एवं इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिवादी संख्या 4 के समक्ष प्रस्तुत करे। प्रतिवादी संख्या 4 उक्त प्रत्यावेदन प्राप्त होने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय करेगा।

जनवरी 29, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"